

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-21/2022 / सी.आई.एस. क्र.-21/2022

अजय कुमार मांझी बनाम बीबी कुलसुम एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
09/04 /25	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है , प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है ।। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31/01/25 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है । उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के वडवान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि केवला सं. 8382 दिनांक 09/09/19 की प्रमाणित प्रति विलम्ब से प्राप्त हुआ है जिस कारण से वादी उसे नियत समय में प्रस्तुत नहीं कर सका । उक्त केवला की प्रमाणित प्रति को वादी की ओर से दिनांक 31/01/25 को प्रस्तुत किया गया है अतः निवेदन है की उक्त दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय । प्रतिवादी गण के द्वारा पृथक पृथक प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है की वादी के द्वारा जानबूझकर विलम्ब से दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिस कारण से उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है । उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अवलोकन से विदित होता है कि उक्त केवल विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वादी की ओर से उक्त केवला वाद-पद गठित होने के बाद प्रस्तुत किया गया है । वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए उभय पक्ष के साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक है । अतः न्यायहित में वादी के उक्त आवेदन को स्वीकृत कर उक्त दस्तावेज को ग्रहण किया जाता है । वाद दिनांक 30/04/25 को वादी साक्ष्य हेतु नियत । लेखापित- असैनिक न्यायाधीश(व.को.) बनमनखी, पूर्णिया	